



देना बैंक
DENA BANK

निवेशक संपर्क केंद्र : देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

INVESTOR RELATIONS CENTRE : Dena Corporate Centre, C-10, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

Tel : 2654 5318 / 19 / 20 • Fax : 2654 5317 • E-mail : irc@denabank.co.in / investorgrievance@denabank.co.in

Ref. No.HO/IRC/64/2017

March 03, 2017

The Vice President - Listing BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.	Vice President - Listing The National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
---	--

Dear Sir,

Re: Issuance of Equity Shares on preferential basis - Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank on 27th March, 2017.

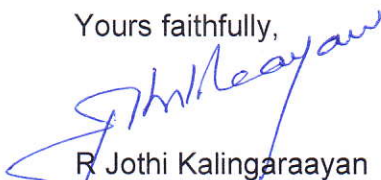
Vide Letter Ref. No. HO/IRC/008/2017 dated January 07, 2017 we informed that Board of Directors at its meeting held on 7th January, 2017 inter alia have approved raising of equity shares by way of issuance of Equity Shares on preferential basis to GOI/others, to the tune of Rs.360 crore. Now, we wish to inform that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on **Monday, 27th March, 2017 at 11.00 A.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai- 400056** to get the shareholders' approval, for the proposed issue of equity shares, on preferential basis, to Government of India / LIC of India / GIC of India, by way of Special Resolution.

We enclose herewith detailed Notice of Extraordinary General Meeting, being circulated to the shareholders, for your information.

The notice of the Extraordinary General Meeting is also being published in the newspapers and put on the website of the Bank for information of the shareholders.

Thanking You.

Yours faithfully,


R Jothi Kalingaraayan
Asst. General Manager
(IRC & BPR) &
Compliance Officer



देना बैंक
DENA BANK

(भारत सरकार का उद्यम)

विश्वस्त पारिवारिक बैंक

(A Government of India Enterprise)

Trusted Family Bank

असाधारण सामान्य सभा के लिए सूचना

सोमवार, 27 मार्च, 2017, मुंबई

प्रातः 11.00 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Monday, 27th March 2017, Mumbai

11.00 A.M.

प्रधान कार्यालय :

देना कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-10, जी ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400051
दूरभाष : 022 26545035

वेब साईट : www.denabank.com

Head Office:

Dena Corporate Centre
C-10, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400051
Tel: 022 26545035

Website : www.denabank.com



विषय सूची

CONTENTS

	पृष्ठ संख्या		Page No.
1. सूचना	3	1. Notice.	8
2. टिप्पणियां	5	2. Notes	10
3. व्याख्यात्मक विवरण	6	3. Explanatory Statement	11
4. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पर्ची	13	4. Attendance Slip cum Entry Pass	14
5. प्रॉक्सी फार्म	15	5. Form of Proxy	16

असाधारण सामान्य सभा में उपस्थित होने और प्रस्ताव पर मतदान के लिए शेयरधारकों की योग्यता के निर्धारण हेतु अंतिम तिथि Cut-off Date for ascertaining eligibility of shareholders to attend the EGM and vote on the Resolution	सोमवार / Monday, 20.03.2017
प्रॉक्सी फार्म और प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Proxy Form and resolutions appointing authorized representatives	बुधवार / Wednesday, 22.03.2017
ई-मतदान E-Voting	शुक्रवार / Friday 24.03.2017 (9:00 A.M.) से/to रविवार / Sunday 26.03.2017 (5:00 P.M.)
असाधारण सामान्य सभा की तिथि Date and time of EGM	सोमवार / Monday 27.03.2017 (11.00 A.M.)

निवेशक संपर्क केंद्र,

देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक,
बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
दूरभाष: 2654 5318 - 5320
ईमेल: irc@denabank.co.in

Investor Relations Centre,

Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051
Tel. No : 2654 5318 - 5320
Email: irc@denabank.co.in

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट:

मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड,
यूनिट : देना बैंक
सी- 101, 247 पार्क,
एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (प.), मुंबई 400083.
दूरभाष. : (022) 4918 6270
ईमेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrar & Share Transfer Agent:

M/s Link Intime India Pvt. Limited,
Unit: Dena Bank,
C-101, 247 Park,
L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083.
Tel. No. : (022) 4918 6270
Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in



प्रधान कार्यालय : देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

सूचना

देना बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि देना बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **सोमवार, 27 मार्च, 2017 को प्रातः 11.00 बजे सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे.वी.पी.डी स्कीम, कूपर अस्पताल के पास, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056** में निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी:

मद सं.1:

सेबी (आई सी डी आर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार निदेशक मंडल / निर्गम समिति द्वारा निर्धारित प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य पर रुपये 148 करोड़ तक, नकद रु.10/- (रुपये दस केवल) के इक्विटी शेयर सृजित करने, प्रस्ताव करने, निर्गम करने एवं आबंटित करने तथा निम्नलिखित संशोधन विशेष संकल्प के रूप में उपयुक्त पाये जाने पर विचार करने, संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करने हेतु:

“यह संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा देना बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) तथा / या कोई अन्य प्राधिकारी जिसकी इस संबंध में आवश्यकता हो, के अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति, यदि कोई हो, के अनुसार, तथा उक्त अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों तथा उनमें संशोधनों के अनुसार, जिनके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जाए तथा सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (सेबी आई.सी.डी.आर.विनियम) तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों की शर्त पर, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतद्वारा दी गई सहमति के अनुसार एतद्वारा भारत सरकार को सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के अनुसार निदेशक मंडल / निर्गम समिति द्वारा निर्धारित किये गए अंकित मूल्य रु. 38.41 प्रति शेयर जिसमें रु. 28.41 प्रति शेयर प्रीमियम शामिल है अधिमानी आधार पर नकद रु.10 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 38531632 इक्विटी शेयर तक कुल रुपये 148 करोड़ तक सृजित करने, प्रस्ताव देने, जारी करने एवं आबंटित करने हेतु बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात उसे “मंडल” कहा गया है, पूँजी निर्गम समिति या ऐसी समिति भी शामिल मानी जाए, जो मंडल ने इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गठित की हो या इसके पश्चात गठित करे) को बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति दी जाए और एतद्वारा दी जाती है.”

यह भी संकल्प किया गया है कि निर्गम मूल्य निर्धारित करने के लिए संबंधित तारीख 23 फरवरी, 2017 है.

“आगे यह भी संकल्प किया गया है कि मंडल की सहमति के अनुसार, निर्गम, आवंटन तथा उसकी सूचीबद्धता के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या उक्त प्रकार के अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में किए गए आवश्यक संशोधन स्वीकार करने का अधिकार मंडल को होगा.”

“आगे यह भी संकल्प किया गया है कि जारी किये जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा ऐसी घोषणा के लिए तत्समय विद्यमान साविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.”

आगे यह भी संकल्प किया गया है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजन के लिए मंडल को एतद्वारा अंत तक शेयरधारकों की सहमति या अनुमति लिये बिना ऐसे सभी कार्य करने का प्राधिकार दिया गया है जिसे वह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने तथा ऐसे सभी कार्य करने एवं सभी आवश्यक, वांछनीय एवं त्वरित सभी प्रलेखों एवं लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने, जिसे वह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उचित एवं वांछनीय समझे, और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने संकल्प के प्राधिकार द्वारा मंडल को उक्त प्रयोजन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है.”

“आगे यह भी संकल्प किया गया है कि मंडल, उपर्युक्त संकल्प को लागू करने हेतु, इसमें उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का प्रत्यायोजन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या बैंक के किसी अन्य अधिकारी का, जिसे वह उचित समझे, करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत है.”

मद संख्या-2

सेबी (आई सी डी आर) विनियम, 2009 के विनियमन 76(1) के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम एवं भारतीय साधारण बीमा निगम को निदेशक मंडल / निर्गम समिति द्वारा निर्धारित प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य पर क्रमशः रुपये 97.41 और रुपये 20 करोड़ तक, नकद रु.10/- (रुपये दस केवल) के इक्विटी शेयर सृजित करने, प्रस्ताव करने, निर्गम करने एवं आबंटित करने तथा निम्नलिखित संशोधन विशेष संकल्प के रूप में उपयुक्त पाये जाने पर विचार करने, संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करने हेतु-

“यह संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा देना बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) तथा / या कोई अन्य प्राधिकारी जिसकी इस संबंध में आवश्यकता हो, के अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति, यदि कोई हो, के अनुसार, तथा उक्त अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों तथा उनमें संशोधनों के अनुसार, जिनके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जाए तथा सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (सेबी आई.सी.डी.आर.विनियम) तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों की शर्त पर, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतद्वारा दी गई सहमति के अनुसार सृजित करने, प्रस्ताव देने, जारी करने एवं आबंटित करने हेतु बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात उसे “मंडल” कहा गया है, पूँजी निर्गम समिति या ऐसी समिति भी शामिल मानी जाए, जो मंडल ने इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गठित की हो या इसके पश्चात गठित करे) को बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति दी जाए और एतद्वारा दी जाती है.”

- i) भारतीय जीवन बीमा निगम और/ या इसकी विभिन्न योजनाओं को सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के विनियमन 76 (4) के अनुसार निदेशक मंडल / निर्गम समिति द्वारा निर्धारित किये गए निर्गम मूल्य रु. 38.41 प्रति शेयर जिसमें रु. 28.41 प्रति शेयर प्रीमियम शामिल है, नकद पर अधिमानी आधार पर रु 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 25359934 इक्विटी शेयर कुल रूपए 97.41 करोड़ तक.
- ii) भारतीय साधारण बीमा निगम को सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के विनियमन 76 (4) के अनुसार निदेशक मंडल / निर्गम समिति द्वारा निर्धारित किये गए निर्गम मूल्य रु. 38.41 प्रति शेयर जिसमें रु. 28.41 प्रति शेयर प्रीमियम शामिल है, नकद पर अधिमानी आधार पर रु 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 5206977 इक्विटी शेयर कुल रूपए 20 करोड़ तक.



यह भी संकल्प किया गया है कि निर्गम मूल्य निर्धारित करने के लिए संबंधित तिथि 23 फरवरी, 2017 है।

“यह भी संकल्प किया गया है कि मंडल की सहमति के अनुसार, निर्गम, आवंटन तथा उसकी सूचीबद्धता के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड / ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या उक्त प्रकार के अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में किए गए आवश्यक संशोधन स्वीकार करने का अधिकार मंडल को होगा।”

“यह भी संकल्प किया गया है कि जारी किये जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा ऐसी घोषणा के लिए तत्समय विद्यमान सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे।”

यह भी संकल्प किया गया है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजन के लिए मंडल को एतद्वारा अंत तक शेयरधारकों की सहमति या अनुमति लिये बिना ऐसे सभी कार्य करने का प्राधिकार दिया गया है जिसे वह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने तथा ऐसे सभी कार्य करने एवं सभी आवश्यक, वांछनीय एवं त्वरित सभी प्रलेखों एवं लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने, जिसे वह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उचित एवं वांछनीय समझे, और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने संकल्प के प्राधिकार द्वारा मंडल को उक्त प्रयोजन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है।”

“यह भी संकल्प किया गया है कि मंडल, उपर्युक्त संकल्प को लागू करने हेतु, इसमें उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का प्रत्यायोजन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या बैंक के किसी अन्य अधिकारी का, जिसे वह उचित समझे, करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत है।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते देना बैंक

हस्ता/-

(अमित कुमार)
कंपनी सचिव

दिनांक: 1 मार्च, 2017
स्थान: मुंबई



टिप्पणियां :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

सभा के काम - काज के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का क्रमानुसार व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है:

2. मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा तदनुसूची नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का, उसके द्वारा धारित शेयरों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होगा. अधिनियम में हुए किसी संशोधन के कारण, विनियमन अधिनियम, योजना और विनियमों में भी कोई या विद्यमान प्रक्रिया जो सूचना में दी गई है, के किसी भाग में परिवर्तन होता है, तो वह संशोधन प्रभावी होगा.

विनियम 68 के अनुसार, उपरोक्त की शर्त पर, प्रत्येक शेयरधारक, जो निर्धारित तिथि अर्थात् सोमवार, 20 मार्च, 2017 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, को अंतिम तिथि तक उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा का अधिकार होगा.

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं, तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम प्रथम है, वह मतदान के संदर्भ में, एकल धारक माना जाएगा. अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम प्रथम है, बैठक में मतदान करने के लिए पात्र होगा.

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित रहने और मतदान करने का / के पात्र शेयर धारक अपने स्थान पर बैठक में किसी अन्य को उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का / की पात्र होगा / होगी और ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है.

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा. ऐसे किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो देना बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है.

विनियम 70(vi) के अनुसार, प्रॉक्सी के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान देने का अधिकार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो.

प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से, बैंक को प्रॉक्सी फार्म असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् कार्यालय समय समाप्त होने से पहले अर्थात् **बुधवार, 22 मार्च, 2017** को 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (आई.आर.सी. और बी.पी.आर.)/ कम्पनी सचिव, निवेशक संपर्क केन्द्र, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-51 को अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति उक्त बैठक में किसी कंपनी या निगमित निकाय, जो कि बैंक का शेयर धारक है, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा या मतदान नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के बारे में पारित संकल्प की प्रतिलिपि, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गई हो जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय में असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात्, **बुधवार, 22 मार्च, 2017** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् 5.00 बजे तक या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (आई.आर.सी. बीपीआर.)/ कम्पनी सचिव, निवेशक संपर्क केन्द्र, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-51 के पास जमा नहीं कर दी जाती.

5. उपस्थिति पर्ची - सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, उपस्थिति पर्ची- सह प्रवेश पास इस नोटिस के साथ संलग्न है. शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर प्रस्तुत करें. शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि / मुख्तारी उपस्थिति सह प्रवेश पास में "मुख्तारी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करें.

6. रिमोट ई-मतदान:

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम 2015, के विनियम 44 के अनुसरण में जिसे कंपनी(प्रबंधन, प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ा जाएं, आपके बैंक को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध कराने में खुशी होती है ताकि शेयर धारक सूचना में उल्लिखित मदों पर अपने मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकें. बैंक ने ई-मतदान प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में मेसर्स नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड को नियुक्त किया है. ई-मतदान वैकल्पिक है. शेयरधारकों / लाभार्थीस्वामीयों के ई-मतदान की गणना सोमवार, 20 मार्च, 2017 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित / अंतिम तारीख है. बैंक के जिन शेयरधारकों के पास निर्धारित / अंतिम तारीख को भौतिक या बेकागजी रूप में शेयर हैं वे अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकते हैं.

मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा आसाधारण सामान्य सभा में उपलब्ध कराई जाएगी और सभा में उपस्थित सदस्यों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे सभा में मतपत्र के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.

सदस्य जिन्होंने असाधारण सामान्य सभा से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर दिया है वह भी आसाधारण सामान्य सभा में शामिल हो सकते हैं, परन्तु वे पुन मतदान करने के हकदार नहीं होंगे.

ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें:

- क. ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यू.आर.एल. <https://www.evoting.nsdl.com> को खोलें.
- ख. लॉगइन विवरण अर्थात् यूजर आई.डी. और पासवर्ड प्रविष्ट करें. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो, आप लॉगइन के लिए अपने विद्यमान यूजर आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं आपकी यूजर आई.डी. ई.वी.ई.एन. (106023) + फोलियो सं (यदि शेयर कागजीकृत रूप में है) / डी.पी. आई.डी. + क्लाइंट आई.डी. (यदि शेयर डिमैट रूप में है) होगी.
- ग. यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप एन.एस.डी.एल. को evoting@nsdl.com पर मेल कर सकते और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.
- घ. सही तरीके से विवरण भरने के बाद, "लॉगिन" पर क्लिक करें.
- ङ. यूजर आई.डी और पासवर्ड भरें. लॉगिन पर क्लिक करें.
- च. यदि आप पहली बार लॉगइन कर रहे हैं तो पासवर्ड चेंज का मेन्यू आएगा. अपनी इच्छा के अनुसार पासवर्ड बदलें जो कि कम से कम 8 अंकों का / अक्षरों का या उनका मिश्रण हो. कृपया एन.एस.डी.एल. ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर भावी सभी ई-वोटिंग चक्रों के लिए नए पासवर्ड को नोट करें. आपको सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी और व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए हर संभव सावधानी बरतें.
- छ. ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा. मतदान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए "ई-वोटिंग" पर क्लिक करें.



- ज. देना बैंक के ई.वी.ई.एन. (ई-वोटिंग इवेंट संख्या) का चयन करें. ई.वी.ई.एन. के लिए, आप एन.एस.डी.एल. के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर तब तक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं जब तक कि आप मतदान अवधि के दौरान संकल्प पर मतदान नहीं कर देते.
- झ. इसके बाद जैसे ही "कास्ट वोट" पेज खुलेगा. आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं.
- ञ. अपने उम्मीदवार का चयन करके आप अपना मतदान कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करें तथा नया पैल सामने आने पर "कनफर्म" भी करें.
- ट. पुष्टि होने के बाद "वोटिंग कास्ट सक्सेसफुली" का संदेश प्रदर्शित होगा.
- ठ. कृपया नोट करें एक बार मतदान किये जाने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता.
- ड. संस्थागत सदस्य (अर्थात सदस्यों एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि व्यक्तियों के अलावा) को भी विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / हस्ताक्षरकर्ताओं, जिनको मतदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर / हस्ताक्षरों के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि सहित की स्कैन की हुई कॉपी (पी.डी.एफ. / जे.पी.जी. फॉर्मेट) संवीक्षाकर्ता को ई-मेल scrutinizer@snaco.net द्वारा तथा उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in पर भेजनी है. आप दस्तावेजों को रजिस्ट्रार के ई-मेल आई.डी. santosh.jaiswal@linkintime.co.in पर भी भेज सकते हैं.
- यदि कोई प्रश्न हो तो आप <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या आप मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री संतोष जयसवाल, (इकाई: देना बैंक) से दूरभाष सं 022-49186270 पर संपर्क कर सकते हैं.
- ढ. भावी संसूचना(ए) भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूजर प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आई-डी- को अद्यतन भी कर सकते हैं.
- ण. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 24.03.2017 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 26.03.2017 को (सायं 5 बजे) समाप्त होगी. इस अवधि के दौरान दिनांक 20.03.2017 को (अर्थात निर्धारित तिथि) कागजी रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं. तत्पश्चात ई-वोटिंग मॉड्यूल एन.एस.डी.एल. द्वारा मतदान के लिए डिसेबल किया जाएगा. शेयरधारक द्वारा एक बार किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद उक्त शेयरधारक को बाद में उसे बदलने या परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी.
- त. शेयरधारकों को वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि तक बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा.
- थ. कोई व्यक्ति, जिन्होंने शेयरों का अधिग्रहण किया है और सूचना प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन गए हैं और निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 20 मार्च, 2017 तक शेयरधारिता रखते हैं तो वे evoting@nsdl.co.in को एक अनुरोध भेजकर एक लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.
- द. तथापि यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एन.एस.डी.एल. में पंजीकृत हैं, आप अपने मतदान के लिए अपने विद्यमान यूजर आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो आप अपना पासवर्ड www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'फॉरगेट यूजर डिटेल्स/ पासवर्ड' का उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री सं: 1800-222-990 पर एन.एस.डी.एल. से संपर्क कर सकते हैं.
- ध. बैंक ने मै. एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, व्यवसायी कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी विधि से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.
- न. संवीक्षक, ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति से अधिकतम तीन कार्य दिवसों के अंदर कम-से-कम दो ऐसे साक्षियों की उपस्थिति में जो बैंक में रोजगार में न हो, वोटों को अनब्लॉक करेंगे और पक्ष और विपक्ष में डाले वोटों पर संवीक्षक रिपोर्ट बनाकर बैंक के अध्यक्ष को तत्काल प्रस्तुत करेंगे.
- प. जो शेयरधारक ई-मतदान का विकल्प नहीं चुनते हैं वे इस सूचना के व्याख्यात्मक विवरण खंड में लिखित प्रक्रिया के अनुसार **27 मार्च, 2017** को बैठक में संचालित चुनाव में अपना मतदान कर सकते हैं.
- ई-वोटिंग परिणाम बैंक की असाधारण सामान्य सभा में या उसके बाद घोषित किए जाएंगे. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वार्षिक सभा में उक्त संकल्प को पारित करने और एन.एस.ई. / बी.एस.ई. को संसूचित करने के दो दिनों के अंदर बैंक की वेबसाइट www.denabank.com और एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट evoting@nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे.

व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 1 और 2 :

भारत सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम व भारतीय साधारण बीमा निगम को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना

क) अधिमानी निर्गम का उद्देश्य

निरंतर बदलते कारोबार वातावरण में कारोबार स्तर में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति तथा बेसल III मानदंडों का अनुपालन करने के लिए बैंक को तुरंत अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है. विशेषतः बेसल III मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए जुटाई गई पूंजी का उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता में वृद्धि के लिए तथा बैंक की सामान्य कारोबार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा.

भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2016 द्वारा रुपये 594 करोड़ पूंजी लगाने का संकेत दिया है जिसमें से रुपये 446 करोड़ सितंबर 2016 के माह में निर्मुक्त मूल्य रु. 37.10 प्रति शेयर जिसमें रु. 27.10 प्रति शेयर प्रीमियम शामिल है, रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 120215633 इक्विटी शेयर निर्गमित किया गया था जो बैंक को आवंटित राशि का 75 % है. बैंक ने भारत सरकार से शेष 25 % आवंटित पूंजी निर्मुक्त करने का अनुरोध किया है, जिसकी शीघ्र अपेक्षा की जाती है.

बैंक के अनुरोध पर, भारतीय जीवन बीमा निगम ने बैंक में पूंजी निर्गम के बाद बैंक का एक्सपोजर 14.25% से अधिक नहीं होने की शर्त पर अधिमानी आधार पर बैंक की इक्विटी पूंजी के लिए सहमत हो गया है. इसी प्रकार भारतीय साधारण बीमा निगम भी क्रमशः 20 करोड़ रुपये की सीमा तक इक्विटी शेयरों की सदस्यता के लिए सहमत हो गया है.

ख) आज की तिथि तक संशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम के अध्याय VII में निहित अधिमानी निर्गम के लिए लागू विनियमों के तदनुसार निर्धारित निर्गम मूल्य निम्नानुसार है:

आवृत्ति का नाम	निर्गम मूल्य प्रति इक्विटी शेयर	अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर	प्रीमियम प्रति इक्विटी शेयर
भारत सरकार	38.41	10.00	28.41
भारतीय जीवन बीमा निगम	38.41	10.00	28.41
भारतीय साधारण बीमा निगम	38.41	10.00	28.41

नोट: चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम पात्र संस्थागत क्रेता के रूप में पंजीकृत हैं, अतः निर्गम मूल्य सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम के विनियम 76. (4) की शर्त अनुसार निर्धारित किया जाएगा अर्थात् निर्गम मूल्य उस राशि पर निर्धारित किया जाएगा जो साप्ताहिक उच्च के औसत से कम नहीं है और प्रारंभित तिथि (23 फरवरी 2017) के पूर्ववर्ती दो सप्ताहों के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों के भारित औसत मूल्य की मात्रा से कम नहीं हो.



ग) निर्गम से पहले और बाद में शेयर धारिता पद्धति (लगभग)

श्रेणी	शेयरों की संख्या (निर्गम पूर्व)	पूंजी का प्रतिशत	शेयरों की संख्या (निर्गम के बाद)	पूंजी का प्रतिशत
भारत सरकार(प्रवर्तक)	539,626,896	68.55	578,158,528	67.52
भारतीय जीवन बीमा निगम और इसकी विभिन्न योजनाएं	96,655,466	12.28	122,015,400	14.25
भारतीय साधारण बीमा निगम	16,476,373	2.09	21,683,350	2.53
अन्य जनता	134,391,149	17.08	134,391,149	15.70
कुल	787,149,884	100.00	856,248,427	100.00

घ) बैंक निर्गम प्रक्रिया सेबी आई सी डी आर विनियमों में उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रयास करेगा.

ङ) इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम के पश्चात नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

निर्गम पूर्व और निर्गम पश्चात केंद्र सरकार की शेयर धारिता निम्न प्रकार होगी (लगभग)

नाम	निर्गम पूर्व	प्रतिशत	निर्गम के बाद	प्रतिशत
भारत सरकार	539,626,896	68.55	578,158,528	67.52
भारतीय जीवन बीमा निगम एवं इसकी विभिन्न योजनाएं	96,655,466	12.28	122,015,400	14.25
भारतीय साधारण बीमा निगम	16,476,373	2.09	21,683,350	2.53

- च) बैंक के इक्विटी शेयर छः माह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं और तदनुसार, सेबी आई सी डी आर विनियमों के विनियम 76(3) तथा 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं होंगे.
- छ) सेबी (आई सी डी आर) विनियमों की शर्तों अनुसार, भारत सरकार की पूर्व अधिमानी शेयरधारिता, विशेष संकल्प के अनुसार आवंटित शेयरों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्गमित व्यापारिक अनुमति की तिथि से छह माह की अवधि तक प्रासंगिक तिथि लॉकड इन रहेंगे.
- ज) सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियमन 70 (4), विनियम 72 (2) अर्थात किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियां का निर्गम करने का प्रतिषेध संबंधित तिथि से छह महीने की अवधि से पूर्व जिसने बैंक के इक्विटी शेयरों को विक्रय कर दिया है लागू नहीं है, के अनुसार, जैसा कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम (बीमा कंपनियों) को निर्गम किया जा रहा है.
- झ) केंद्र सरकार को जारी सभी शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक लौकड इन रहेंगे. सेबी (आई सी डी आर) विनियमों के विनियमन 78 (2) के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम को निर्गम किए गए सभी शेयर बाजारों द्वारा प्रदान की गई ट्रेडिंग मंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लौकड इन रहेंगे.
- ञ) सांविधिक लेखाकारों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है, असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा.
- ट) केंद्र सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं और जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके साथ सूचीबद्धता करार में किये गये उल्लेख के अनुसार बैंक ने इक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्त का अनुपालन किया है. केंद्र सरकार ने संबंधित तारीख से छह माह पहले बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर नहीं बेचा है.
- ठ) चूंकि कि बैंक के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियमन 41 के अनुसरण में, यदि उन शेयरों का उनको आनुपातिक आधार पर प्रस्ताव न किया गया हो, तो और प्रतिभूतियों का अनुमोदन शेयरधारकों द्वारा किया जाना आवश्यक है.
- ड) बैंक निर्गम प्रक्रिया सेबी आईसीडीआर विनियमों में उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रयास
- ण) जहां कहीं आवश्यक हो, बैंक सेबी आई सी डी आर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार इक्विटी शेयरों की कीमत की पुनः गणना करता है.
- त) बैंक यह वचन देता है कि यदि कीमत की पुनः गणना के कारण भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित समय के अंदर न किया जाए, तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां तब तक लॉकड इन रहेंगी जब तक कि आवंटिती द्वारा उस रकम का भुगतान नहीं किया जाता.

निदेशक मंडल सूचना में उल्लिखित संकल्प के लिए आपके अनुमोदन की संस्तुति करता है.

बैंक का कोई भी निदेशक इस संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

● 27 मार्च, 2017 को चुनाव प्रक्रिया

कार्य-सूची की मदों पर विचार विमर्श के बाद, कार्य-सूची की मदों के आधार पर बैंक मतदान करेगा. मतदान का आयोजन एवं निगरानी इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए संवीक्षकों द्वारा की जाएगी. सामान्य सभा स्थल पर उपस्थित शेयरधारकों/प्रॉक्सी(ओं)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) अपना मतदान, मतदान प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं. तथापि, शेयरधारक जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई-मतदान के माध्यम से कर दिया है उन्हें सभा की मतदान प्रक्रिया में मतदान की अनुमति नहीं होगी. मतदान की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे.

बैंक द्वारा मतदान का परिणाम रिमोट ई-मतदान के परिणामों को जोड़कर बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते देना बैंक
हस्ता./-
(अमित कुमार)
कंपनी सचिव

दिनांक: 1 मार्च 2017
स्थान: मुंबई



Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051.

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Dena Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of DENA BANK will be held on **Monday, 27th March 2017 at 11.00 A.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056** to transact the following business:-

ITEM No. 1:

To create, offer, issue and allot equity shares to the extent of Rs.148 crore of Rs.10/- (Rupees ten only) for cash at such Issue Price including premium as determined by the Board/ Issue Committee in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to Government of India and to consider and if thought fit, pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution(s) -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970; Banking Regulation Act, 1949 and Dena Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities Exchange Board of India (SEBI) and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include Issue Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 38531632 equity shares of face value of Rs.10/- each to Government of India, on preferential basis, for cash at Issue Price of Rs.38.41 per share including premium of Rs. 28.41 per share as determined by the Board/ Issue Committee in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating upto Rs.148 Crore.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 23rd February, 2017.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Issue Committee be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

ITEM No. 2:

To create, offer, issue and allot equity shares to the extent of Rs. 97.41 crore of Rs.10/- (Rupees ten only) and Rs. 20 crore Rs. 10/- for cash at such Issue Price including premium as determined by the Board/ Issue Committee in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to LIC of India & GIC of India, respectively and to consider and if thought fit, pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution(s) -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970; Banking Regulation Act, 1949 and Dena Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and



regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include Issue Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise Capital by creating, offering, issuing and allotting

- (i) upto 25359934 equity shares of face value of Rs.10/- each to LIC of India and/or to its various schemes, on preferential basis, for cash at Issue Price of Rs. 38.41 per share including premium of Rs. 28.41 per share as determined by the Board/ Issue Committee in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating upto Rs.97.41 Crore.
- (ii) upto 5206977 equity shares of face value of Rs.10/- each to GIC of India, on preferential basis, for cash at Issue Price of Rs. 38.41 per share including premium of Rs.28.41 per share as determined by the Board/ Issue Committee in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating upto Rs.20 Crore.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 23rd February, 2017.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Issue Committee be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors
For DENA BANK

Date: 1st March, 2017
Place: Mumbai

Sd/-
(Amit Kumar)
Company Secretary



NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent** of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date i.e. **Monday, 20th March, 2017**, shall have one vote for each share held by him/her as on the Cut-off Date.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to vote in the meeting.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Dena Bank.

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to Assistant General Manager (IRC & BPR) / Company Secretary, Investor Relations Centre, Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 pm of the Bank on **Wednesday, 22nd March, 2017**.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Assistant General Manager (IRC & BPR) / Company Secretary, Investor Relations Centre, Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 pm of the Bank on **Wednesday, 22nd March, 2017**.

5. ATTENDANCE SLIP - CUM- ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorised Representative of shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

6. REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014; your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed M/s National Securities Depository Limited (NSDL) as e-voting agency to provide the e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Monday, 20th March 2017** being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instructions below to cast their vote through e-voting:

- Open the following URL for e-voting: <https://www.evoting.nsdl.com>.
- Enter the login credentials i.e. user id and Password. Your user ID is EVEN (106023)+ Folio No (If shares are held in physical mode) / DP ID + Client ID (If shares are held in demat mode). If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing User ID and Password for Login.
- In case you do not have a Password you may write to NSDL on evoting@nsdl.co.in and get your Password.
- After entering the details appropriately, click on "LOGIN".
- Put User ID and Password and Click on login.
- If you are logging in for the first time, Password Change Menu appears. Change the Password of your choice with minimum 8 digits / characters or a combination thereof. Please note the new Password for all the future e-voting cycles offered on NSDL e-voting Platform. It is strongly recommended not to share your Password with any other persons and take utmost care to keep your Password confidential.
- Home page of "e-voting" opens. Click on "e-voting" : Active voting cycles.



- h. Select "EVEN (E-voting Event Number)" of DENA BANK. For an EVEN, you can login any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution during the voting period.
- i. Now you are ready for "e-voting" as "Cast Vote" Page opens.
- j. Cast your vote by selecting appropriate option and click "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- k. Upon confirmation, the message "Voting cast successfully" will be displayed.
- l. Kindly note that vote once casted cannot be modified.
- m. Institutional members (i.e. members other than individuals, HUF, NRIs, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG format) of the relevant board resolution / authority letter, etc. together with the attested specimen signature(s) of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through email at : Scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. You can also forward the documents at the Registrar's e-mail id santosh.jaiswal@linkintime.co.in
In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at "downloads" section of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact by email at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Santosh Jaiswal, Unit: Dena Bank of M/s Link Intime India Private Ltd. on 022-49186270.
- n. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile detail of the folio which may be used for sending future communication.
- o. The remote e-voting period commences on **24.03.2017 (9.00 a.m.) and ends on 26.03.2017 (5.00 p.m.)**. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on 20.03.2017 i.e. the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once a vote is cast, the shareholder shall not be allowed to change or modify it subsequently.
- p. The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date.
- q. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 20th March, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- r. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990
- s. The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- t. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will make a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- u. Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the meeting on **27th March, 2017** as per the procedure stated in the Explanatory Statement section of this Notice.

The Results of the e-voting shall be declared after the EGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.denabank.com and on the website of NSDL i.e. <https://www.evoting.nsdl.com> within two days of the EGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

EXPLANATORY STATEMENT

ITEM No. 1 and 2 : ISSUANCE OF EQUITY SHARES TO GOVT. OF INDIA, LIC OF INDIA AND GIC OF INDIA ON PREFERENTIAL BASIS

a. Objects of the Preferential Issue

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario as well as to comply with the Basel-III norms, the bank needs additional capital immediately, particularly for meeting BASEL-III norms. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

The Government of India had vide letter dated 19th July, 2016 has indicated infusion of capital of Rs. 594 crore out of which Rs. 446 crore was infused in the month of September 2016 by issue and allotment of 120215633 equity shares of Rs. 10/- each at Issue Price of Rs. 37.10 per share including a premium of Rs. 27.10 per equity share constituting 75% of the amount allocated to the Bank. The Bank has requested GOI to release the balance 25% of the capital allocated to the Bank at the earliest and the same is expected shortly.

At the request of the Bank, LIC of India has agreed to subscribe to equity capital of the Bank on preferential basis subject to their exposure in the Bank not exceeding 14.25% of post issue capital of the Bank. Similarly GIC of India has also agreed to subscribe to the equity shares to the extent of Rs. 20 crore respectively.

- b. The Issue Price determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date is as under.

Name of the Allottee	Issue Price per equity share	Face Value per equity share	Premium per equity share
Government of India	38.41	10.00	28.41
LIC of India	38.41	10.00	28.41
GIC of India	38.41	10.00	28.41

Note: As LIC of India and GIC of India are registered as Qualified Institutional Buyer, the Issue Price will be determined in terms of Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations i.e. the Issue Price is determined at a price which is not less



than the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the Equity Shares of the Bank during the two weeks preceding the Relevant Date (23rd February 2017).

c. Shareholding Pattern before and after the Issue (approximately)

Category	Number of Shares (Pre Issue)	%age to Capital	Number of shares (Post Issue)	%age to Capital
Government of India (Promoter)	539,626,896	68.55	578,158,528	67.52
LIC of India & its various schemes	96,655,466	12.28	122,015,400	14.25
GIC of India	16,476,373	2.09	21,683,350	2.53
Other Public	134,391,149	17.08	134,391,149	15.70
Total	787,149,884	100.00	856,248,427	100.00

d. The Bank will endeavor to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

e. After the proposed issue of equity shares, there would not be any change in control in the Bank.

The Pre and Post issue shareholding of the allottees would be as under. (approximately)

Name	Pre Issue	%age	Post Issue	%ge
Government of India	539,626,896	68.55	578,158,528	67.52
LIC of India	96,655,466	12.28	122,015,400	14.25
GIC of India	16,476,373	2.09	21,683,350	2.53

f. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

g. In terms of SEBI ICDR Regulations, pre-preferential holding of GOI is required to be locked-in from the Relevant Date upto a period of six months from the date of Trading Approval issued by the Stock Exchanges for the shares allotted pursuant to the Special Resolution.

h. With regard to the issue being made to LIC of India and GIC of India (insurance companies) in terms of Regulation 70 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, Regulation 72 (2) of the said Regulations i.e. prohibition of issuing securities to any person who has sold equity shares of the bank during the period of six months prior to the relevant date is not applicable.

i. All the shares issued to the Central Government shall be locked in for a period of three years from the date of Trading Approval to be granted by the Stock Exchanges. In terms of Regulation 78(2) of SEBI ICDR Regulations, all the shares issued to the LIC of India & GIC of India shall be locked in for a period of one year from the date of Trading Approval to be granted by the Stock Exchanges.

j. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

k. All the shares held by the Central Government are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Issuer are listed. The Central Government has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

l. As the equity shares of the Bank are listed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 41 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.

m. The Bank will endeavor to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

n. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

o. The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

The Board of Directors recommends for your approval the Resolution mentioned in the Notice.

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank is concerned or interested in the said resolution.

● **VOTING PROCESS on 27th March, 2017**

After the agenda item has been discussed, the bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizers to be appointed for the purpose. The shareholders/Proxy(ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

By Order of the Board of Directors
For DENA BANK

Sd/-
(Amit Kumar)
Company Secretary

Date: 1st March, 2017
Place: Mumbai



देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय : देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुंबई - 400051

उपस्थिति पर्ची - सह -प्रवेश पर्ची

असाधारण सामान्य सभा

दिनांक : सोमवार, 27 मार्च, 2017 , प्रातः 11.00 बजे

स्थान : सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज, जे.वी.पी.डी स्कीम, कूपर अस्पताल के पास, विले पार्ले(पश्चिम), मुंबई - 400 056

उपस्थिति पर्ची

(सभागृह में प्रवेश करते समय इसे दिया जाए)

नाम (शेयरधारक/प्रॉक्सी/ए.आर)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डी.पी.आई.डी एवं ग्राहक आई.डी. (यदि बेकागजीकृत नहीं है)	
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			



देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय : देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुंबई - 400051

असाधारण सामान्य सभा

दिनांक : सोमवार, 27 मार्च, 2017 , प्रातः 11.00 बजे

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

नाम (शेयरधारक/प्रॉक्सी/ए.आर)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डी.पी.आई.डी एवं ग्राहक आई.डी. (यदि बेकागजीकृत नहीं है)	
शेयरधारक / प्रॉक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर जैसी यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति-पर्ची और प्रवेश पत्र एक साथ प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश सत्यापन/जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.



Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date : Monday, 27th March, 2017 at 11:00 A.M.

Place : Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			



Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date : Monday, 27th March, 2017 at 11:00 A.M.

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass – Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate attendance slip- cum Entry pass-cum Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.



प्रधान कार्यालय : देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुंबई - 400051

फार्म "बी"

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा व हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डीपी आईडी संख्या ग्राहक आईडी संख्या (यदि बेकागजीकृत है)		शेयरों की संख्या	
---	--	---	--	------------------	--

मैं/हम _____ राज्य के _____

जिले में स्थित _____ का / के निवासी देना बैंक का / के शेयरधारक / शेयरधारकों के रूप में एतद्वारा _____ राज्य के

_____ जिले में स्थित _____ का/के निवासी श्री/श्रीमती _____ को अथवा

उसकी अनुपस्थिति में _____ राज्य के श्री/श्रीमती _____ को **सोमवार, 27 मार्च, 2017, प्रातः 11.00 बजे** सभागृह, सर

सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे वी पी डी स्क्रीम, कूपर अस्पताल के समीप, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400056 में आयोजित होने वाली देना बैंक के शेयरधारकों की असाधारण

सामान्य सभा और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना मुख्तारी नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

इस पर _____ 2017 के _____ दिन हस्ताक्षर किये.

एक रुपये
का राजस्व
टिकट

मुख्तारी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम: _____

पता: _____

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश:

- मुख्तारी लिखत तभी वैध होगी जब,
 - व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए.
 - संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्यता रजिस्टर में प्रथम नामित द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके / उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
 - किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो. यह नोट किया जाए कि इस आशय के संकल्प की प्रतिलिपि जिसमें उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि / मुख्तारी को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है संलग्न किया जाए जे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हुआ हो.
- मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए किन्तु शेयरधारक किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार या एश्यूरेस के उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी व देना बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए.
- मुख्तारी के साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों, या
 - ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की एक प्रति असाधारण सामान्य सभा की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् **बुधवार, 22 मार्च, 2017** को अपरान्ह 5.00 बजे अर्थात् कार्य समय की समाप्ति से पहले निवेशक संपर्क केंद्र, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुंबई-400051 में जमा की जानी चाहिए.
- कोई भी मुख्तारी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्टाम्पित न हो.
- बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत **अंतिम मानी जाएगी और उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा.**
- दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक रूप से प्रदत्त मुख्तारी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं होगा.
- जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित असाधारण सामान्य सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो.
- देना बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.



देना बँक
DENA BANK

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051.

FORM 'B'
FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)		DP ID No. Client ID No. (if Dematerialised)		No. of shares	
---	--	---	--	------------------	--

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____

_____ in the state of _____ being a shareholder/shareholders of Dena Bank hereby appoint Shri / Smt. _____ resident of _____

_____ in the district of _____ in the state of or failing him/her, Shri/ Smt _____ resident of _____

_____ in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Dena Bank to be held on **Monday, 27th March, 2017** at 11:00 A.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2017

Revenue
Stamp
Re.1/-

Signature of Proxy

Signature of first named / sole shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Dena Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Dena Bank, Investor Relations Centre, Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5:00 p.m. on Wednesday, 22nd March, 2017.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Dena Bank.